फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या/68 /2023
Online No. 2023/260

उनवान

श्री मति उषा [illegible] बनाम श्री [illegible]

नि० सांगानेर नि० [illegible]

धारा 111-128 प्रा०पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
15/5/23	बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/इजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/6/23 ... को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
13/6/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण के जारी नोटिस मय तामील प्राप्त शामिल फाईल किये गये, विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को बार-बार आवाज लगाई गई, इसके उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LR Act का स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज दिनांक खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय मुताबिक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
168 / 2023	15.05.2023	13.06.2023

अनवान

1. श्रीमती उषा भदादा पत्नी श्री हेमन्त भदादा उम्र वयस्क निवासी 313, कल्की मोहल्ला, सांगानेर, जिला भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थिया

बनाम

1. चांदमल पुत्र हीरा जाति जाट उम्र वयस्क,
2. माया पुत्री भैरूनाथ नाबालिग सरंक्षक माता प्रेम बाई जाति जोगी,
3. लक्ष्मी पुत्री भैरूनाथ उम्र वयस्क,
4. शंकर पुत्र भैरूनाथ उम्र वयस्क,
5. सत्यनारायण पुत्र भैरूनाथ जाति जोगी,
6. मोहन नाथ पुत्र माधुनाथ उम्र वयस्क,
   निवासीगण सालरा जिला भीलवाड़ा–राज0
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश लड्ढा– प्रार्थिया
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–73 के खाता संख्या 1416 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3315 / 2668 रकबा 0.5817 है0 किस्म बारानी III कुल खसरा 01 रकबा 0.5817 है0 भूमि प्रार्थिया के नाम पर खातेदारी अधिकारों से दर्ज है और विपक्षीगण आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थिया एवं विपक्षीगण की आराजियात के मध्य सीमा चिह्न नहं होने से घास काटने, फसल काश्त करते समय विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थिया की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थिया अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थिया आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, भू.अ. नि. क्षेत्र सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–73 के खाता संख्या 1416 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 3315/2668 रकबा 0.5817 है0 किस्म बारानी III कुल खसरा 01 रकबा 0.5817 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधरित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा